


इकपक्षीय कार्यवाही के आदेश दिये जाते  
हैं। वास्तु बहुत पत्रावली दिनांक - 10/3/2021  
को पेश हो। तब तक T.I. अवधि  
बर्बाद जाती है।

10/3/21

पत्रावली पेश। प्रांप्त से सम्बन्धित  
वाद का निर्णय किया जाकर वाद  
वारीगण उन्नी किया जा चुका है। मूल  
वाद का निस्तारण हो जाने से अब इस  
प्रकरण में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं  
होने से कार्यवाही इसी स्तर पर ड्रॉप  
की जाकर प्रांप्त स्वारीज किया  
जाता है। पत्रावली फैसल नुसार की जाकर  
वाद तकमील नम्बर से कम होकर मूल  
वाद के साथ संलग्न रहे।

  
उपस्थान अधिकारी  
सिण्डोली (बून्दी)